

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0जयपुर

क्रमांक: ई-12/जो.कोटा/सेवानिवृत्ति/2025/03

दिनांक:- 16/1/25

आदेश

श्री प्रेमचन्द मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी जिनकी जन्मतिथि 31.05.1965 है, को राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.05.2025 से मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक: ई-12/जो.कोटा/सेवानिवृत्ति/2025/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन- कोटा।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को भिजवाकर लेख है कि भविष्य में कार्मिकों द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त प्रकरण निदेशालय को 1 वर्ष पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रशासनिक अधिकारी, डी.पी.सी./टी.सी (अराजपत्रित), अनुभाग।
5. संबंधित कर्मचारीयों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

उक्त कर्मचारीयों के विरुद्ध यदि कोई ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक: ई-12/जो.कोटा/सेवानिवृत्ति/2025/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन- कोटा।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को भिजवाकर लेख है कि भविष्य में कार्मिकों द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त प्रकरण निदेशालय को 1 वर्ष पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रशासनिक अधिकारी, डी.पी.सी./टी.सी (अराजपत्रित), अनुभाग।
5. संबंधित कर्मचारीयों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma

Designation: Director

Date :13-01-2025 03:30:52